भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड–3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

अधिसूचना सं० 12/2015–2020

नई दिल्लीः– 27 जून, 2017

विषयः वर्ष 2017–18 के दौरान मालदीव गणराज्य को अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति।

सा० आ० (अ०) विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा वर्ष 2017–18 की अवधि के दौरान भारत सरकार और मालदीव सरकार के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता के तहत मालदीव गणराज्य को आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा और चीनी की निम्नलिखित मात्रा के निर्यात की अनुमति देती हैः

मद	**मात्रा (मी० टन में)**
आलू	11714.45
प्याज	19466.36
चावल	67640.24
गेहूं का आटा	59442.17
चीनी	11706.30

2. मालदीव गणराज्य को उपर्युक्त मदों का निर्यात वर्ष 2017–18 की अवधि के दौरान किसी मौजूदा या भावी प्रतिबंध/निषेध से मुक्त होगा।

3. इस अधिसूचना का प्रभावः

उपर्युक्त पैरा 1 की तालिका में दर्शायी गई मात्रा के अनुसार वर्ष 2017–18 की अवधि के दौरान अप्रैल, 2017 से भारत सरकार और मालदीव सरकार के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता के अंतर्गत मालदीव गणराज्य को आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा और चीनी के निर्यात की अनुमति दी गई है। मालदीव गणराज्य को उपर्युक्त मदों का निर्यात, निर्यात संबंधी किसी मौजूदा या भावी प्रतिबंध/निषेध से मुक्त होगा।

अजय भल्ला
(ए.के.भल्ला)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा० सं० 01/91/171/59/एएम09/निर्यात प्रकोष्ठ से जारी)